



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277122
CG-DL-E-13102026-277122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]
No.614]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

सं. एचआरडी/22/2016/आरआर/रा.भा.-वॉल-III(पार्ट)-पार्ट(2).— केन्द्रीय बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 14 की उपधारा (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा), भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वें होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह केंद्रीय सरकार के परामर्श से तथा ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	57* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय बोर्ड समूह 'क' (केंद्रीय सरकार के समूह 'क' के समतुल्य)	स्तर-10 [56100-177500 रु.]	चयन पद	पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य हो या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी अनिवार्य हो या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य हो या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य हो या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो; वांछनीय: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं स्तर पर	लागू नहीं होता।	दो वर्ष सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए	(i) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 75 प्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्प-कालिक संविदा भी है।

संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न अन्य भाषाओं में से किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। अनुभव: (i) राजभाषा अधिनियम या नीति के कार्यान्वयन में तीन वर्ष का अनुभव; या (ii) केंद्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
(I) प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(रु.44,900-1,42,400) में ऐसे ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथाविहित एक माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. केंद्रीय भविष्य	सीधी भर्ती द्वारा पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

टिप्पण 1. इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर स्तर-7(रु.44,900-1,42,400) में ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदों पर विद्यमान पदाधिकारी सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(II) प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा भी है):

केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी:

क (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

निधि आयुक्त -

अध्यक्ष

2.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत

सरकार- सदस्य

3.अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) मानव संसाधन - सदस्य

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :

1.केंद्रीय भविष्य

निधि आयुक्त -

अध्यक्ष

2.संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत

सरकार- सदस्य

3.अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) मानव संसाधन - सदस्य

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्प-कालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्प-कालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./383/2026-27]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

No. HRD/22/2016/RR/OL-VOL-III(Pt.)-Part(2).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 14 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board with the approval of Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Employees' Provident Fund Organisation under the administrative control of Ministry of Labour and Employment, namely:—

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Assistant Director (Official Language), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.— The number of the post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification .— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language).	57* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Central Board Group 'A'. (Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government.)	Level-10 [Rs.56100-177500]	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age. Note1: Relaxable for Government servants and employees of the Employees' Provident Fund Organisation up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees.	25% by direct recruitment; (ii) 75% by promotion failing which by deputation (including short term contract)

Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule of the Constitution at 10th level from a recognised Board. Experience: (i) Three years experience in implementation of Official Language Act or policy; or (ii) three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research or educational institutions. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
(I) Promotion: Senior Translation Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of one month as prescribed by the Employees Provident Fund Organisation. Note 1. The existing incumbents holding the posts of Senior Translation Officer in Level 7 (Rs. 44900 – 142400) on regular basis on the date of notification of these rules with three years of regular service shall be eligible for promotion to the post of Assistant Director (Official Language).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Central Provident Fund Commissioner - Chairman (2) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment - Member (3) Additional Central	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post by direct recruitment.

Note 2. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (II) Deputation (Including short term contract): Officers under the Central or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or recognised research institutions or recognised universities: (A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 9 (Rs. 53100-167800) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 (Rs.47600-151100) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of Deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications)	Provident Fund Commissioner (Headquarters) Human Resource - Member Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Central Provident Fund Commissioner - Chairman (2) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment - Member (3) Additional Central Provident Fund Commissioner (Headquarters) Human Resource - Member	
--	--	--

RAMESH KRISHNAMURTHI, Central Provident Fund Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./383/2026-27]